न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
विभाजन वाद संख्या–75/1997

रणेन्द्र किशोर.....वादी

बनाम

कृपेन्द्र किशोर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

11.09.20 उभय पक्ष की पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 03.02.20 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 दाखिल किया गया है। जिस संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तथा प्रतिवादी संख्या–4 की ओर से उक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 25.08.20 को दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन आदेश 6 नियम 17 के संबंध में कहना है कि वादी के चाचा सुंदर महतो ने अपने हिस्से की भूमि 19 कट्ठा 14 धूर निबंधित बख्शीसनामा से दिनांक 23.10.1981 को दान कर दखल कब्जा दे दिया जिसे इस वाद में प्रदर्श–1/बी अंकित किया गया है। यह भूमि वादी की व्यक्तिगत भूमि है, किन्तु गलती से वादी के तत्कालीन अधिवक्ता द्वारा इस वाद में अंकित कर दिया गया है। यह कि इस भूमि से वादी के भाइयों व बहनों को कोई सरोकार नहीं है। इसलिए बख्शीसनामा वाली भूमि को जो वादपत्र की अनुसूची–4 में अंकित है, वादपत्र से विलोपित कर दिया जाय। प्रस्तुत संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं आयेगा।

प्रतिवादी संख्या–4 का अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से कहना है कि वादी तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष बाबूराम महतो के वारिसान हैं, फिदवी प्रतिवादीगण राजाराम महतो व बद्री महतो के वारिसान है। पक्षकारों के बीच यह स्वीकृत तथ्य है कि गणेश महतो के 4 लड़कों में से सुंदर महतो नावल्द थे। प्रस्तुत वाद में सम्मिलित भूमि सुंदर महतो व बद्री महतो के अंश की जायदाद है, जिसे जाल, फरेब करके बाबूराम महतो के वारिसान फर्जी बख्शीसनामा वजूद में लाये तथा इस भूमि को हड़पने के लिए फिदवी मुदालय को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत वाद दाखिल किए। वास्तव में बाबूराम महतो के वारिसान का कोई हक निहित नहीं है तथा कुल जायदाद राजाराज महतो के वारिसान व बद्री महतो की बेटी यशोदा देवी की जायदाद है। फिदवी मुदालय को जब जानकारी हुई तो वे प्रस्तुत वाद में संघर्ष कर रहे हैं। यह कि प्रस्तुत संशोधन आवेदन दिनांक 20.01.20 को दाखिल किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 से 3 की ओर से अनापत्ति दर्ज की गई। इस आवेदन की जानकारी प्रतिवादी संख्या–4 व 5 के अधिवक्ता को नहीं दी गई। जब वादी द्वारा उक्त आवेदन प्रचालित किया गया तब इन प्रतिवादीगण को जानकारी हुई तो विरोध किया गया। विरोध के बाद उक्त आवेदन की प्रति प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को हस्तगत कराई गई। यह कि सुंदर महतो ने तथाकथित बख्शीसनामा दिनांक 23.10.1981 द्वारा कोई भूमि रणेन्द्र किशोर (वादी) को बख्शीस नहीं किया है, बल्कि वह जाली, फरेबी है। यह कि वादपत्र के मद नं0–4 की भूमि 19 कट्ठा 14 धूर सुंदर महतो के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या–4 के शांतिपूर्ण दखल कब्जे में चला आ रहा है। यह कि इस भूमि पर वादी का कभी दखल कब्जा नहीं रहा है। यह कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु चल रहा है तथा वादी का तथाकथित बख्शीसनामा दिनांक 23.10.1981 व उसमें शामिल भूमि इस मुकदमा का मूल बिंदु है। लिहाजा वादपत्र से नहीं हटाया जा सकता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वादी का आवेदन खारिज किया जाय।

अभिलेख परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा बंटवारा हेतु लाया गया है। वादी का कहना है कि वादी को उसके चाचा ने वादपत्र में वर्णित मद नं0–4 की भूमि निबंधित बख्शीसनामा दस्तावेज दिनांक 23.10.1981 के माध्यम से दान कर दिया। यह कि बख्शीसनामा वाली भूमि से वादी के भाई बहनों को कोई सरोकार नहीं है, लेकिन तत्कालीन विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूलवश वादपत्र में उस भूमि को शामिल कर लिया गया। जबकि प्रतिवादी संख्या–4 का कहना है कि बाबूराम महतो के वारिसान फर्जी बख्शीसनामा वजूद में लाकर उस भूमि को हड़पना चाहते हैं। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उभय पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो चुका है तथा अभिलेख बहस हेतु नियत है जिसका निस्तारण शीघ्र हो जाने की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद के इस प्रक्रम में वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन खारिज होने योग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 03.02.20 खारिज किया जाता है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद वर्ष 1997 का है जो काफी पुराना है तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पुराने लंबित वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। ऐसी दशा में उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे शीघ्रतिशीघ्र अपना–अपना बहस समाप्त करें ताकि वाद का निस्तारण किया जा सके। वास्ते बहस हेतु दिनांक 19.09.2020 को अभिलेख प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)